संख्या- 1/2016/2688/30-3-15-20बी/2013

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉं,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 12 जनवरी, 2016

विषय- सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, औरैया में 01 निरीक्षण कक्ष एवं 01 फिटनेस पिट के निर्माण हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-2312ए/2015-15नजारत/2013, दिनॉक 23-11-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, औरैया में 01 निरीक्षण कक्ष एवं 01 फिटनेस पिट के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में लेखाशीर्ष-4047 के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि की सीमा तक शासनादेश संख्या-2/3312/30-3-14-20बी/2013, दिनॉक 02-01-2015 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रू0 15.50 लाख (रू0 पन्द्रह लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी, जो मानकीकृत लागत रू0 17.26 लाख से रू0 1.76 लाख (रू0 एक लाख छियत्तर हजार मात्र) कम थी। प्रश्नगत निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु द्वितीय किस्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रावधानित उक्त अवशेष धनराशि रू0 1.76 लाख (रू0 एक लाख छियत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(4) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष को होगा।

(5) परियोजना का निर्माण कार्य दिनॉक 31 मार्च, 2016 तक पूर्ण कर लिया जायेगा और इसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा और इस हेतु कोई पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(6) निरीक्षण कक्ष एवं फिटनेस पिट के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-2057/30-3-13-20बी/2013, दिनॉक 03-09-2013 में मानकीकरण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष "4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-वाहनों के फिटनेस चेक हेतु फिटनेस पिट की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुहम्मद अख़लाक़ ख़ाँ)
विशेष सचिव।

संख्या-1/2016/2688(1)/30-3-2015, तददिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हाथरस तथा औरैया द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश)।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।